Request For Proposal

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–7 में स्थित मुख्य नाले के दोनों तरफ नवीकरणीय सौर उर्जा पार्क एवं सार्वजनिक पार्क विकसित करने हेतु इच्छुक हैं। गीडा द्वारा उक्त रिक्त भूमि को चयनित फर्म को किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। फर्म का चयन प्रस्तुतीकरण एवं वित्तीय बोली के आधार पर किया जायेगा, जो गीडा के कांफेन्स हॉल में दिनांक 17.07.2019 को अपरान्ह 03:00 बजे होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1– प्रथम चरण मे गीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संस्थागत सेक्टर 07 में गीडा प्रशासनिक भवन के साथ ग्रिन वेल्ट विद्युत पैसेज को हरित गलियारा के रूप में विकसित कर वैकल्पिक सौर ऊर्जा पार्क के रूप में विकास करने का कार्य कराया जाना है।

2– प्रस्तावित सेक्टर के रिक्त भूमि को यथा स्थिति में दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों पर पी0पी0टी0 के माध्यम से चयनित फर्मो को लगभग 25 वर्ष के लिए रेन्ट पर दिया जाना है।

3– चयनित फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत वार्षिक किराया देना होगा, तथा समय पर किराया न देने पर प्राधिकरण के नियमानुसार अर्थ दण्ड देय होगा। तथा प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार किराये की वृद्धि होगी।

4– चयनित फर्म द्वारा 25 वर्ष के पश्चात गीडा को सम्पूर्ण परियोजना चालू हालत में यथास्थिति में हस्तानान्तरण करनी होगी।

5– यदि चयनित फर्म पुनः योजना को चालू रखना चाहती है तो गीडा एव चयनित फर्म की आपसी सहमति से पुनः अग्रिम अनुबन्ध किया जा सकता है।

6– चयनित फर्म द्वारा न्यूनतम 12 माह के अन्दर अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित पर्यटन योग्य रिन्यूअल एनर्जी पार्क की स्थापना करनी होगी।

7– चयनित फर्म द्वारा जनसमान्य के सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी वहन करनी होगी इसके लिए गीडा जिम्मेदार नहीं होगी।

8– चयनित फर्म द्वारा सम्पूर्ण परियोजना के विकास एवं अनुरक्षण का कार्य स्वय अपने संसाधनों से किया जायेगा। उक्त परियोजना में किये गये व्यय पर अनुरक्षण इत्यादित की जिम्मेदारी गीडा की नहीं होगी।

9– परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट गीडा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(के0 आर0 वर्मा)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)
गीडा, गोरखपुर।